(भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 49/2023
दिनांक: 7 दिसम्बर, 2023

विषय: प्याज की निर्यात नीति में संशोधन।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति की अनुसूची 2 के अध्याय 07 में प्याज की निर्यात नीति में निम्नानुसार संशोधन करती है:

प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	नीतिगत शर्त	संशोधित निर्यात नीति	संशोधित नीतिगत शर्त
0703 10 19	कि.ग्रा.	प्याज:	मुक्त	दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक 800 अमेरिकी डॉलर एफ.ओ.बी. प्रति मीट्रिक टन (एम.टी.) की न्यूनतम निर्यात कीमत (एम.ई.पी.) के अध्यधीन	दिनांक 31.03.2024 तक निषिद्ध	-

2. यह अधिसूचना दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 से लागू होगी। परिवर्ती व्यवस्था के संबंध में विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.05 के यथा अधीन प्रावधान इस अधिसूचना के तहत लागू नहीं होंगे। इसके अलावा, प्याज की खेप को निम्नलिखित तीन शर्तों में से किसी एक को पूरा करने पर निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी:

i. जहां प्याज को पोत पर लादने का कार्य इस अधिसूचना के पहले शुरु हो गया है;

ii. जहां इस अधिसूचना से पहले शिपिंग बिल फाइल कर दिया गया है और भारतीय पत्तनों पर पोत की बर्थिंग हो चुकी है या वह पहुंच चुका है और लंगर डाल चुका है और उनका रोटेशन नम्बर आवंटित किया जा चुका है; ऐसे जहाजों में लदान की मंजूरी इस अधिसूचना से पहले प्याज की लदान के लिए जहाज की एंकरिंग/बर्थिंग के संबंध में संबंधित पत्तन अधिकारियों द्वारा पुष्टि के बाद ही जारी की जाएगी; और

iii. जहां प्याज की खेप इस अधिसूचना से पहले सीमा शुल्क प्राधिकारियों को सौंप दी गई है और उनकी प्रणाली में पंजीकृत है / जहां प्याज की खेप इस अधिसूचना से पहले निर्यात के लिए सीमा शुल्क स्टेशन में प्रवेश कर चुकी है और इस अधिसूचना के जारी होने से पहले इन वस्तुओं के सीमा शुल्क स्टेशन में प्रवेश करने की तारीख और समय की मुहर सत्यापन योग्य साक्षा के साथ सीमा शुल्क स्टेशन के संबंधित अभिरक्षक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में पंजीकृत हो चुकी है। निर्यात की अवधि 5 जनवरी, 2024 तक होगी।

सं. सारंगी

3. अन्य देशों को भी उनकी सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर प्याज के निर्यात की अनुमति दी जाएगी।

4. अधिसूचना का प्रभावः

एचएस कोड 0703 10 19 के तहत प्याज की निर्यात नीति को 31.03.2024 तक 'मुक्त' से संशोधित करके 'निषिद्ध' किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
7.12.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/171/50/विविध/एएम21/ई–26586 से जारी)